न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 32/2018

1. नवप्रीत कौर पुत्री गुरतेज सिह पत्नी बलतेज सिह जाति जटसिख निवासी अम्बिका एनक्लेव श्रीगंगानगर।
2. राजदीप कौर पुत्री गुरतेज सिह पत्नी शिगारा सिह जाति जटसिख निवासी संगराना तहसील रायसिहनगर।

बनाम

--वादीगण-

1. वीरपाल कौर पुत्री गुरजन्ट सिह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्रीकरणपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर एवं उपपंजीयक श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,91,92 ए आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 26/3/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता गुरतेज सिह की दिनांक 21.01.2018 एवं माता जरनैल कौर की दिनांक 04.07.2015 को मृत्यु हो चुकी है। गुरतेज सिह व जरनैल कौर के दो पुत्रीया एवं दो पुत्र है। दो पुत्रीया वादीगण है एवं एक लडका नाजव सिह दिनांक 08.11.2015 को लाऔलाद कंवारा फौत हो चुका है तथा दूसरा लडका सुखविन्द्र सिह दिनांक 06.01.2018 को फौत हो चुका है। सुखविन्द्र सिह की शादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हुई थी। सुखविन्द्र सिह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने तमाम हक व हिस्सा प्राप्त कर अन्य जगह शादी कर ली। वादीगण अपने मृतक पिता गुरतेज सिह व अपने मृतक भाई सुखविन्द्र सिह के कानूनी एवं जायज वारिस है इसके अलावा अन्य कोई कानूनी एवं जायज वारिस नही है। चक 8 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 10/10 के मु0 नं0 30,37,39,48,48/3 की कुल 11.386 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला मे वादीगण के मृतक पिता गुरतेज सिह के नाम 1.897 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है एवं इसी चक के खाता संख्या 26/3 के मु0 नं0 31,33,34,43,48/3,48/11,48/19 की कुल 22.770 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला मे वादीगण के भाई मृतक सुखविन्द्र सिह के नाम 1.820 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह भूमि वादीगण के परिवार की पैतृक सम्पत्ति है। गुरतेज सिह व सुखविन्द्र सिह के द्वारा अपने जीवनकाल मे इस भूमि की कभी कोई वसीयत नही करवाई। दोनो बिना वसीयत के फौत हुये है। कानूनी एवं जायज वारिस होने के कारण वादीगण इस 3.717 हैक्टर भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। इस भूमि पर वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। पानी की पर्चीया वादीगण के पास है। सुखविन्द्र सिह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पंचायत करवाई गई एवं अपना हक मागा जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 को उसका तमाम हक एवं हिस्सा दे दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अन्य जगह शादी कर ली। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र सिह की वारिस नही रही। अपने द्वितीय पति की वारिस बन चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा सुखविन्द्र सिह व गुरतेज सिह की सम्पत्ति मे से अपना हक एवं हिस्सा प्राप्त किये जाने के कारण अब वह कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 इस भूमि को हडपन बाबत कई बार प्रयास कर चुकी है यदि उसने ऐसा किया तो वादी गण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये वादीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को रोक पाने के अधिकारी है ओर दावा पेश करने की अधिकारी है। मृतक गुरतेज सिह व सुखविन्द्र सिह की जायज वारिस होने के कारण उक्त 3.717 हैक्टर भूमि अपने नाम बतौर वारिस दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा खातेदारी अधिकारो के दावा पेश करने के अधिकारी है। दावा पेश करने से दो दिन पूर्व वादीगण प्रतिवादीगण से मिले ओर इस भूमि को वादीगण के नाम लगवाने को कहा तो उसने इन्कार कर दिया ओर कहा कि इस भूमि को वह अपने नाम दर्ज करवाकर खुर्द बुर्द करेगी यदि उसने ऐसा किया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा यही वाद कारण है। राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर को पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 8 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 10/10 के मु0 नं0 30,37,39,48,48/3 की कुल 11.386 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला मे वादीगण के मृतक पिता गुरतेज सिह के नाम दर्ज 1.897 हैक्टर भूमि तथा इसी चक के खाता संख्या 26/3 के मु0 नं0 31,33,34,43,48/3,48/11,48/19 की कुल 22.770 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला मे वादीगण के भाई मृतक सुखविन्द्र सिह के नाम दर्ज 1.820 हैक्टर भूमि इस प्रकार दोनो खातो मे दोनो के नाम दर्ज 3.717 हैक्टर भूमि का वादीगण के गुरतेज सिह व सुखविन्द्र सिह के जायज वारिस होने के नाते खातेदार घोषित होने के आदेश दिये जावे एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जावे कि वह इस भूमि को किसी प्रकार से अन्तरित न करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण को दिलवाया जावे। वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा के अनुसार सुखविन्द्र सिंह, जरनैल कौर, नाजम सिंह, सुखविन्द्र सिंह की मृत्यु अंकित अनुसार हो चुकी है। प्रतिवादिया सुखविन्द्र सिंह द्वितीय श्रेणी की वारिस स्वयं जीवित है। द्वितीय श्रेणी के वारिसान का कोई महत्व नही रहता। प्रतिवादिया सुखविन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद उसकी एक मात्र जायज वारिस है। प्रतिवादीया की शादी सुखविन्द्र सिंह के साथ हुई थी। प्रतिवादिया के द्वारा अन्य जगह शादी नही की गई है। सुखविन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादिया उसकी एक मात्र वारिस होने के कारण समस्त सम्पत्ति प्रतिवादिया को प्राप्त हुई। गुरतेज सिंह की मृत्यु के बाद वादीगण एवं सुखविन्द्र सिंह की पत्नी होने के कारण उसकी सम्पत्ति मे 1/3 हिस्सा की हकदार प्रतिवादिया हुई। प्रतिवादिया द्वारा किसी प्रकार का कोई हक एवं हिस्सा प्राप्त नही किया गया है। प्रथम श्रेणी के वारिस जीवित होने पर द्वितीय श्रेणी की वारिस सम्पति से निवारित हो जाते है। इस प्रकार विधि अनुसार ही वादीगण सुखविन्द्र सिंह की सम्पत्ति मे कोई हक नही रखती। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

तत्पश्चात दोनो पक्षो के द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 03.01.2019 को पेश किया जो दोनो पक्षो के द्वारा सुन व समझकर सही होनो स्वीकार किये जाने पर तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे संलग्न किया गया। दोनो पक्षो के अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किया जावे तो दोनो पक्षो को कोई ऐतराज नही है।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा चक 8 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 10/10 के मु0 न0 30, 37, 39, 48, 48/3 की कुल 11.386 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला मे वादीगण के मृतक पिता गुरतेज सिह के नाम दर्ज 1.897 है0 भूमि तथा इसी चक के खाता संख्या 26/3 के मु0 न0 31, 33, 34, 43, 48/3, 48/11, 48/19 की कुल 22.770 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला मे वादीगण के भाई मृतक सुखविन्द्र सिंह के नाम दर्ज 1.820 है0 भूमि इस प्रकार दोनो खातो मे दोनो के नाम दर्ज 3.717 है0 भूमि का वादीगण को गुरतेज सिंह व सुखविन्द्र सिंह के जायज वारिस होने के नाते खातेदार घोषित होने बाबत वाद पत्र पेश किया है। दोनो पक्षो के द्वारा राजीनामा पेश कर वाद पत्र अनुसार डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है। उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है। ऐसी स्थिति मे पक्षकारान, राजीनामा दिनांक 03.01.2019 के अनुरूप अपने अपने हिस्सा मे प्राप्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 10/10 के मु0 न0 30, 37, 39, 48, 48/3 की कुल 11.386 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला मे वादीगण के मृतक पिता गुरतेज सिह के नाम दर्ज 1.897 है0 भूमि तथा इसी चक के खाता संख्या 26/3 के मु0 न0 31, 33, 34, 43, 48/3, 48/11, 48/19 की कुल 22.770 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला मे वादीगण के भाई मृतक सुखविन्द्र सिंह के नाम दर्ज 1.820 है0 भूमि इस प्रकार दोनो खातो मे दोनो के नाम दर्ज 3.717 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उक्तानुसार अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे किया जावे। पर्चा डिक्री इसी आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक....26/3/2019..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner